न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा,जिला चित्तौडगढ(राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 1/2023
जीसीएमएस न0 2023/2

1. नारायण पिता रणछोड़ जी चारण निवासी मण्डलाचारण तहसील निम्बाहेड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1. अमरदान पिता टोलीराम जी चारण निवासी मण्डलाचारण तहसील निम्बाहेड़ा।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–			
	1– श्री मुकेश कुमार खटीक	–	प्रार्थी स्वयं
	2– पेरोकार सरकार	–	स्वयं उपस्थित
	3– मदनलाल चपलोत	–	विपक्षी क्रमांक 1

दिनांक 21.11.2024

:: निर्णय ::

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी व विपक्षी सं 1 व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी वाके मौजा नारदिया पटवार हल्का मण्डलाचारण तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 45 की आराजी नंबर 123 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 125 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 126 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, आराजी नंवर 134 रकबा 0.7200 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.2800 हैक्टेयर स्थित है।

2. प्रार्थी एवं विपक्षी सं० 1 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता सरकारी आ०नं० 117 रकबा 0.5600 हेक्टेयर गे०मु० नाला की पूर्वी मेड से होकर प्रार्थी की आराजी नं0 125 में पहुंचता है। जहां से बाद में प्रार्थी की शेष आ०नं०123. 126. 134 में पहुंचता है। यह रास्ता आ०नं० 117 की पूर्वी मेड से प्रार्थी की आराजी नं0 125 तक मौके पर करीबन 10 फीट चौड़ा बना हुआ है। प्रार्थी व विपक्षी सं० 1 व अन्य सहखातेदारान उपरोक्त वादग्रस्त रास्ते से होकर अपने हल बैलगाडी बैलगाडी, ट्रेक्टर, कृषि उपकरण, कृषि पैदावार कदीम से यानि 100 साल से अधिक समय से पीढीदर पीढी इसी रास्ते से होकर अपनी आराजीयात पर शांति पूर्वक बिना किसी बाधा के निरन्तर आ जा रहे है और इसी रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रासता मौजूद नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:34:57 IST
Reason: SelfAttested

3. विपक्षी नं० 1 भी उपरोक्त रास्ते से ही अपनी आराजी में इसी अनुसार आ जा रहे है और वह उक्त रास्ते की जगह खाई खोद कर एवं पत्थर की कोट बना कर बिल्कुल बन्द करने पर अमादा है, तो प्रार्थी ने उसे समझाया परन्तु वह नही माना और आ०नं0 117 सरकारी नाले की पूर्वी मेड पर रास्ते में खाई खोद डाली व पत्थर की कोट बना दी, जिससे प्रार्थी की आराजी में आना जाना बन्द हो गया और आराजी पडत रह गई है। और विपक्षी सं० 1 प्रार्थी को धमकीया दे रहा है

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

कि अब वह प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर आने जाने नहीं देगा एवं हल बैलगाडी, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर लाने ले जाने नहीं देगा, जब कि प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने का उपरोक्त रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है. इसलिये प्रार्थी उपरोक्त सरकारी नाले की पूर्वी मेड से रास्ते बाबत नियमानुसार डी एल सी दर से शुल्क जमा कराने का तैयार है।

4. प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध वाद कारण अभी दिनांक 20.12.2022 से पैदा है जब कि विपक्षी सं० 1 ने उक्त रास्ते से प्रार्थी को आने जाने से रोक दिया और पत्थर की दिवाल चुन दी एवं रास्ते में खाई खोद डाली वं लडाई झगडा करने पर उतारू हुआ, से पैदा होकर यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल चपलोत ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने अनुशंषा मय रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत की और निवेदन किया कि ग्राम नारदिया में आराजी नंबर 123, 125, 126, 134 कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर करणीदान, गणेशदान पिता धन्ना, काली पुत्री धन्ना, चम्पा पत्नी धन्ना, नारायण पिता रणछोड़दान, रामदान पिता भंवरलाल, रूकमणबाई पत्नी अमरदान, गंगाबाई पत्नी भंवरलाल के नाम सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी नंबर 125 पर जने का कदीमी रास्ता ग्राम मण्डलाचारण व नारदिया की सीमा से होते हुए आराजी नंबर 128,123,124 से 125 पर पहुंचता है। यह सीमा ग्राम मण्डलाचारण तक रास्ता वर्तमान में चालू है। आराजी नंबर 128 से आगे कच्ची पत्थरों की बाड़ बनी होकर रास्ता बंद है। इसी रास्ते का प्रयोग प्रार्थी पूर्व में किया करता था। वर्तमान में प्रार्थी आराजी नंबर 115 की पश्चिमी मेड़ से चाहता है जो कि निकटतम होकर उत्तर दिशा में पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। अतः प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर में सें 24ग6 144 वर्गमीटर (0.0144 हैक्टेयर) है।

6. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी की आराजी पर आने जाने हेतू एक मात्र कदीमी रास्ता आराजी नं0 115 की पश्चिमी मेड़ से होकर प्रार्थी की आराजी नं0 125 में पहुँचता है मौके पर उक्त रास्ता करीब 144 वर्गमीटर प्रार्थी की आराजी तक पहुँचने का कायम है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करते हुए प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र योग्य पाया जाता है।

7. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉ

(क) कोई अभिधारी, अपनी भूमि की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथारिथति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:34:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

68. Application under Sec. 251-A. - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.

69. Enquiry and disposal of application. - On receipt of an application in Form 1, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of Inspector and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchal
Date: 2025.01.29 13:34:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

8. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बावत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:34:57 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वह भी प्रभावित पक्ष है बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होगा तथा तहसीलदार निम्बाहेडा की रपोर्ट अनुसार प्रार्थी के संयुक्त खाते की आराजी नम्बर 123,125,126,134 पर आने जाने का कदिमी रास्ता ग्राम मण्डलाचारण व नारदिया की सीमा में होते हुए आराजी नम्बर 128,123,124 से प्रार्थी की आराजियात पर पहुचता है और यह रास्त वर्तमान में चालू है इसलिए सुविधा की दृष्टि से नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी

ने भी अपने प्रार्थना पत्र में यही तथ्य अंकित किए है।। प्रार्थी अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है तथा तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 117 सरकारी नाले की पूर्वी मेड में कोई नाजायज कब्जा हो तो मौके से तत्काल कब्जा हटाया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:34:57 IST
Reason: SelfAttested